



प्रेस नोट

थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़

दिनांक 05.03.2021

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा गैंगस्टर सम्बन्धी अपराधों के मा० न्यायालय में प्रचलित वादों में प्रभावी पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाये जाने के अभियान के अन्तर्गत थाना बाबूगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर अधि० के अभियोग में आरोपी को 05 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित कराया गया ।

कार्यवाही:-

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा गैंगस्टर सम्बन्धी अपराधों के मा० न्यायालय में प्रचलित वादों में प्रभावी पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाये जाने के अभियान के अन्तर्गत थाना बाबूगढ़ पुलिस द्वारा थाना हाजा के मु०अ०सं० 270/15 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि० से संबंधित वाद संख्या 80/21 में मा० न्यायालय एडीजे गैंगस्टर हापुड़ में प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप अभियुक्त अब्दुल्ला पुत्र मुबारिक निवासी राधना थाना किठौर जनपद मेरठ को 05 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है ।

अभियुक्त का नाम व पता:-

अब्दुल्ला पुत्र मुबारिक निवासी राधना थाना किठौर जनपद मेरठ ।

दण्ड का विवरण:-

मा० न्यायालय एडीजे गैंगस्टर हापुड़ द्वारा पारित अपने निर्णय में आरोपी अब्दुल्ला उपरोक्त को 05 वर्ष के कारावास एवं 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।